

फर्द अहकाम

प्रभाती लाल वगै०

बनाम

रामेश्वर लाल वगै०

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० 151/25

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.09.2025	<p>वकील श्री दिनेश चौधरी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक.29.10.25को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई पक्षकाराने पक्षकाराने वादो ६ प्रतिवादी की ओ से उनके अधिवक्ता उपस्थित पाठोसीन अधिकारी अन्य राज्य काठ मे व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार आगामी दिनांक 10/11/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश ही कोई पक्ष०/ पक्ष० अधिवक्ता उप० नहीं है। काज नालाल ने पक्ष०/पक्ष० अधिवक्ता की उपस्थिति तीन-2 बार कवाजे लगावई गई जिन्ही कोई उप० नहीं इसका क्रमा पत्रावली 0-9, R-3 CPC के तहत क्रम पत्रावली क्रम हाजिरी के खारिज फरमाती जाती है। पत्रावली फेंजल शुगत होत दफ्तर पाखिल हो दर्ज नकट ठे नल हो।</p>	
	29/10/25		
	10/11/25		

उपखण्ड अधिकारी
दि 29/10/25